भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 176

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024
4 अग्रहायण, 1946 (शक)

भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) में महिलाओं का यौन उत्पीड़न

176. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के अंतर्गत खेल अकादमियों, क्षेत्रीय केन्द्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों, खेल प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य निकायों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने केन्द्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है;

(ख) उन संस्थाओं/केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, जहां कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आईसीसी नहीं है;

(ग) क्या सभी आईसीसी में बाहरी सदस्य भी शामिल हैं और यदि हां, तो उन संस्थाओं / केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, जिनमें ऐसे सदस्य नहीं हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त संस्थाओं/केन्द्रों को वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) : साई मुख्यालय और इसके सभी 12 क्षेत्रीय केंद्रों ने आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) स्थापित की हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि इन स्थानों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु बने तंत्र तक सभी कर्मचारियों/खिलाड़ियों की पहुंच हो। ये आईसीसी संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), साई प्रशिक्षण

केंद्र (एसटीसी), विस्तार केंद्र आदि जैसे उप-केंद्रों से संबंधित मुद्दों को भी हल करती हैं। इसके अलावा, सभी आईसीसी में एक सदस्य बाहरी होता है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
2020	01	01
2021	04	04
2022	06	05
2023	06	05
2024 (आज तक)	05	03

*****